



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27-03-2021

दिनांक 26/27-03-2021 को रात्रि थाना आशियाना 01, गुडम्बा 01, विकासनगर 01, महानगर 02, जानकीपुरम् 01, इन्दिरानगर 04, नाका 01, गोमतीनगर 02, चिनहट 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना गोमतीनगर विस्तार:—दिनांक 26-03-2021 को एस0आई0 श्री विजय नारायण दुबे थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01—नितेश जोशी पुत्र भुवन चन्द्र जोशी निवासी एफ1/972 सेक्टर—1 गोमतीनगर विस्तार थाना गोमतीनगर विस्तार को खरगापुर रेलवे कासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध शराब बरामद कर थाना गोमतीनगर विस्तार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

थाना गोमतीनगर विस्तार:—दिनांक 25-03-2021 को श्री पवन कुमार पटेल प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा अभियुक्त 01—अनिल प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सी-8/22 सपना इन्क्लेव वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ 02—विकास कुमार सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी सी-8/22 सपना इन्क्लेव वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ के विरुद्ध यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार

थाना ठाकुरगंज:—दिनांक 26-03-2021 को एस0आई0 श्री पवन कुमार मिश्रा थाना ठाकुरगंज द्वारा अभियुक्त 01—मो0 इलियास उर्फ पप्पी पुत्र स्व0 जुम्न निवासी म0न0 500/459 डी0पी0 बोरा प्लाट हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ को रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते समय सार्वजनिक स्थान मोहल्ला डी0पी0 बोरा प्लाट से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 11 अद्द सट्टा पर्ची व 6560/—रूपये बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना महानगर:—दिनांक 26-03-2021 को एस0आई0 श्री अभय प्रताप सिंह थाना महानगर द्वारा अभियुक्त 01—गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र स्व0 वंशीधर लाल श्रीवास्तव निवासी—म0न0 509/33 पुराना महानगर थाना महानगर लखनऊ तिवारी चौराहा रेरा हाउस के पास न्यू हैदराबाद महानगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 30 अद्द अवैध देशी शराब पौवा बरामद कर थाना महानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना काकोरी:—दिनांक 27-03-2021 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि श्री मूलचन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम आबिदखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि उसका पुत्र राज किशोर उम्र करीब 23 वर्ष जो काफी शराब पीने का आदी है। दिनांक 26/27-03-2021 की रात्रि को उसके पुत्र राजकिशोर ने शराब के नशे में फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री अवधेश शुक्ला मो0नं0-7007364328 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक कल दिनांक 26-03-2021 को अपने घर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित अपनी आम की बाग में सोने के लिए गया था। आज दिनांक 27-03-2021 को प्रातः देखा तो राज किशोर उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा आम के पेड़ में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक अविवाहित था।